



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18664 वर्ष 2025

सुशीला सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आलोक कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह तथा राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल ने बार पर यह कथन किया है कि वह निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा प्रकरण में बहस करने की स्थिति में हैं। वह कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल करना प्रस्तावित नहीं करते हैं तथा रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि वह ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हुई। तथापि, रुपये 55,668/- की धनराशि की वसूली याचिकाकर्ता के पीठ पीछे, एकपक्षीय रूप से की गई है। यह कपट, गोपनीयता या मिथ्या प्रतिपादन का प्रकरण नहीं है।
5. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया अपना दावा प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. बार के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता दिनांक 30.01.2026 तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक सम्यक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जो उक्त पर कार्यवाही करते हुए याचिकाकर्ता के दावा का निर्णय दिनांक 20.02.2026 तक करेगा।

दिनांक 16 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।